

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 275/2008/उदयपुर

प्रभारी अधिकारी,

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
जांच चौकी, निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़।

बनाम

मैसर्स मिलाप कन्सट्रक्शन कम्पनी,  
जरिये-मैसर्स के.एम.सी. कम्पनी लि., उदयपुर।

.....अपीलार्थी.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री आर.के.अजमेरा,  
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री के.एल.चंचावत,  
अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 03.11.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी प्रभारी अधिकारी, वाणिज्यिक कर अधिकारी, जांच चौकी, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील्स), उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.09.2007 के विरुद्ध पेश की गयी है, जो अपील संख्या 47/प्रवेश कर/2006-07/के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (**The Rajasthan Tax On Entry of goods Into Local Areas Act, 1999**) (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) के तहत आरोपित की गयी प्रवेश कर रु.1,64,000/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा परिवहनकर्ता प्रत्यर्थी की कंपनी के वाहन द्वारा राजस्थान राज्य में कार्यरत ठेकेदार फर्म मैसर्स के.एम.सी. कम्पनी लि., रानी रोड़, उदयपुर के लिये धारवड से लखनऊ "हाइड्रोलिक एक्सक्वेटर" नम्बर एच.आर. 63/7204 परिवहन किये जाते समय दिनांक 18.04.2006 को जांच चौकी निम्बाहेड़ा पर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा जांच हेतु रोका गया। परिवहनीत माल के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा दस्तावेज चाहने पर वाहन चालक द्वारा बिल्टी, धारवड स्थित मैसर्स टैल्को कंस्ट्रक्शन इक्वीपमेंट कंपनी द्वारा जारी बिल, घोषणा प्ररूप एस. टी-18 ए प्रस्तुत किये गये। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच

उपरोक्त माल प्रभारी, वाहन चालक से माल प्राप्तकर्ता मैसर्स के.एम.सी. कंपनी लि. के प्रवेश कर संबंधी पंजीयन प्रमाण चाहा गया जिसके संबंध में वाहन चालक द्वारा यह प्रकट किया गया कि माल के खरीददार से संपर्क कर, वस्तु स्थिति से सक्षम अधिकारी को अवगत करवा देगा जिसके पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा परिवहनित हाईड्रोलिक एक्सवैक्टर को प्रभारी, चैक पोस्ट की अभिरक्षा में दिया गया। दिनांक 24.04.2006 को मैसर्स के.एम.सी. कन्सट्रक्शन की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया कि परिहवनीत माल से उनकी फर्म का कोई संबंध नहीं है, जिसके पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किये जाने की कार्यवाही की गयी। जिसके दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म के भागीदार ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जिसे अस्वीकार कर, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश कर आरोपित कर, आदेश दिनांक 24.04.2006 पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर, अपीलीय आदेश दिनांक 17.09.2007 पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने इस संबंध में यह अपील प्रस्तुत कर, अपीलीय आदेश को चुनौती दी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी सशक्त अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसममत नहीं है क्योंकि हस्तगत प्रकरण में कर अधिनियम की धारा 31(2) के प्रावधानों का उल्लंघन होना प्रकट है। फलस्वरूप, अधिनियम की धारा 31(6) के तहत प्रवेश कर आरोपित करना पूर्णतः विधिअनुकूल है। लिहाजा, अपीलीय आदेश अभिखण्डित किया जाकर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

5. अप्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर पारित अपीलीय आदेश का समर्थन कर कथन किया कि अधिनियम के तहत राज्य के बाहर से आयातित अधिसूचित वस्तु का जब तक राजस्थान राज्य के स्थानीय क्षेत्र में स्थायी रूप से उपयोग, उपभोग अथवा विक्रय किया जाना प्रमाणित नहीं होता एवम् उक्त वस्तु का कुछ समय के उपरान्त छः माह की अवधि में राज्य के बाहर भेज दिया जाये तो ऐसी स्थिति में प्रवेश कर का दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। उक्त बिन्दु के समर्थन में माननीय न्यायालयों के

निम्न न्यायिक दृष्टांतों को प्रोद्धारित कर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

प्रवेश कर अधिकारी बैंगलोर बनाम चान्दमल चम्पालाल एंड कं० एस. सी.-95 एसटीसी पेज-5

1.

मैसर्स दिनेश पाउचेज लि. बनाम राजस्थान राज्य व अन्य डी.बी. सिविल रिट पिटीशन क्रमांक 21/2002 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर आदेश दिनांक 21.08.04

विशिष्ट रूप से अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स गोडफ्रे फिलिप्स इण्डिया व मैसर्स दिनेश पाऊचेज लि. के प्रकरणों में क्रमशः दिनांक 31.05.2000 व दिनांक 21.08.2007 को दिये गये निर्णयों को प्रोद्धारित कर कथन किया कि चूंकि मैसर्स दिनेश पाऊचेज के निर्णय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा "अधिनियम-1999" को "असंवैधानिक" घोषित कर दिया है। अतः उक्त आधार पर भी सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति विधिशून्य है। अतः पुनः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

8. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। जहां तक अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा "अधिनियम-1999" को "असंवैधानिक" घोषित करने संबंधी माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का प्रश्न है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम-1999 को पारित निर्णय में "विधिशून्य" घोषित किया गया था परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पर स्थगन आदेश पारित कर, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर रोक लगा दी है। अतः अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उक्त बिन्दू पर उठायी गयी आपत्ति खारिज की जाती है।

इस संबंध में विशिष्ट रूप से यह भी उल्लेखनीय है कि सशक्त अधिकारी का क्षेत्राधिकार केवल परिवहन के समय वांछित दस्तावेज के होने, उनकी जांच करने तक ही सीमित है, यदि सशक्त अधिकारी को प्रस्तुत दस्तावेजों के संबंध में कोई अनियमितता पायी जाती है कि तो वह शास्ति आरोपित करने के लिये अधिकृत है, प्रवेश कर, के संबंध में सशक्त अधिकारी अधिनियम की धारा 31(3) एवम् (14) के तहत यदि व्यवहारी कूटरचित दस्तावेजों से माल परिवहन करता है तो शास्ति के अतिरिक्त उसको "व्यवहारी" (अधिनियम के तहत परिभाषित) मानकर दायित्वधीन समस्त कार्यवही कर सकता है। इस संबंध में

कार्यवही कर सकता है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 31(3) एवम् (14) के प्रावधान इस प्रकार हैं:-

अधिनियम की धारा 31(13)— If a transporter fails to give information as required from him under clause (d) of sub-section (2) about the consignor, consignee or the goods within such time as may be specified or transports the goods with forged documents, besides imposing the penalty under sub-section (6), it shall be presumed that the goods so transported have been sold in the State of Rajasthan by him and he shall be deemed to be a dealer for those goods under this Act.

अधिनियम की धारा 31(14)— The provisions of this Act shall, for the purpose of levy, collection and assessment of tax, determination of interest, payment and recovery of tax and interest, appeal, review or revision, apply to the transporter deemed to be a dealer under sub-section (13).


चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध कूटरचित दस्तावेजों से कर योग्य माल के परिवहन का कोई प्रकरण बनाया जाना रिकॉर्ड पत्रावली से प्रकट नहीं है। अतः माल "प्रवेश कर" की जांच चौकी पर वसूली विधिक नहीं ठहरती है।

हस्तगत प्रकरण के संबंध में रिकॉर्ड के परिशीलन से यह भी विदित होता है कि परिवहनीय माल "एक्सक्वेटर" का राजस्थान राज्य में प्रवेश स्थानीय क्षेत्र में ठेका कार्य में अस्थायी रूप से प्रयुक्त करने हेतु आयातित किया गया था जिसे लगभग 4 माह के बाद कार्य सविदा स्थल बांरा से पुनः बड़ौदा (उ.प्र.) स्थित मैसर्स मिलाप कंस्ट्रक्शन, बड़ौदा (उ.प्र.) को मैसर्स श्री यादव ट्रेलर कोर्पोरेशन की बिल्टी क्रमांक 76 दिनांक 06.08.2006 द्वारा राज्य के बाहर भेज दिया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस वस्तुका राजस्थान राज्य के स्थानीय क्षेत्र में अस्थायी तौर पर प्रवेश हुआ था जिसका स्थायी रूप से उपयोग, उपयोग अथवा विक्रय नहीं हुआ था। इस संबंध में राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 (The Rajasthan Tax On Entry of goods Into Local Areas Rules, 1999) के नियम 12(3) महत्वपूर्ण है जिसका मूल पठन इस प्रकार है:-

नियम 12(3):- In determining the value of goods liable to tax, the value of goods purchased or received from outside the local area but subsequently sent out of the local area otherwise than by way of sale shall be deducted, provided that the goods are sent out of the local area within a period of six months from the date of entry of such goods into local area and entries are made in the stock register in the manner specified in sub-rule(5) of 14.

अतः उक्त प्रावधानों के आलोक में, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलीय आदेश में विस्तृत विश्लेषण एवम् जांच कर, आदेश पारित किया गया है जिसके हस्तक्षेप को कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त तथ्यात्मक व विधिक स्थिति के आलोक में, पारित अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी सरावत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

9. परिणामतः, अपील अस्वीकार की जाती है।
8. निर्णय प्रसारित किया गया।

  
3.11.2014  
( मदन लाल )  
सदस्य